अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 87 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	236541,48,00		274065,82,00	265374,35,24	-8691,46,76
पूरक	Supplementary	37524,34,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8684,81,90
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3,52,00		3,64,00	2,15,83	-1,48,17
पूरक	Supplementary	12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,47,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹869146.76 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹3752434.00 लाख के पूरक अनुदान का 23 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹869146.76 lakhs) constituted 23 percent of the supplementary grant of ₹3752434.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6050.00	10066.50	10049.33	-17.17
पु.	R.	4016.50			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	406949.00	385889.35	385806.02	-83.33
पु.	R.	-21059.65			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	2123.00	5587.42	5587.42	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	3463.42			
मुख्य शीर्ष "2501" विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	391064.00	379420.86	379420.85	-0.01
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-11644.14			
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment				
मू.	O.	10147451.00	15453357.92	15452793.60	-564.32
पू.	S.	2532257.00			
पु.	R.	2773649.92			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes					
मू.	O.		14047.00			
पू.	S.		2.00	16899.68	16899.67	-0.01
पु.	R.		2850.68			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.		925708.00			
पू.	S.		1.00	..	..	..
पु.	R.		-925709.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़कें और सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.		51604.00			
पू.	S.		1173218.00	1218392.35	1218392.35	..
पु.	R.		-6429.65			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.		11257428.00			
पू.	S.		2.00	8634917.13	8634917.13	..
पु.	R.		-2622512.87			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.		451724.00			
पू.	S.		46952.00	433568.89	433568.87	-0.02
पु.	R.		-65107.11			

(I) बाईस शीर्षों के अंतर्गत ₹926177.49 लाख (including token supplementary of ₹1.25 lakhs) का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹925708.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थेः–

(I) Provision of ₹926177.49 lakhs (including token supplementary of ₹1.25 lakhs) remained wholly unutilized under twenty two heads; of these ₹925708.00 lakhs accounted for under Major Heads “2552” - under the following heads:-

(का) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान” – ₹7667.00 लाख;

(A) “Other Rural Development Programme - Training - Grants to National Institute of Rural Development” - ₹7667.00 lakhs;

(खा) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – अन्य व्यय – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया का सुदृढीकरण” – ₹1135.00 लाख;

(B) “Other Rural Development Programme - Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process” - ₹1135.00 lakhs;

(गा) “स्व रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹51658.63 लाख;

(C) “Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission” - ₹51658.63 lakhs;

(घा) “जिला और अन्य सडकें – प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना – कार्यक्रम घटक” – ₹190000.00 लाख;

(D) “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component” - ₹190000.00 lakhs;

(ङ) “सामाजिक कल्याण – वृद्धजन, अशक्त और बेसहारा व्यक्तियों का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम” – ₹30500.49 लाख;

(E) “Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme” - ₹30500.49 lakhs;

(चा) “ग्रामीण आवासन – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना” – ₹313300.00 लाख;

(F) “Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana” - ₹313300.00 lakhs;

(छा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “इंदिरा आवास योजना” – ₹136218.00 लाख;

(ख) “राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम” – ₹3205.69 लाख;

(ग) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹5709.14 लाख;

(G) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Indira Awaas Yojana” - ₹136218.00 lakhs;

(b) “National Social Assistance Programme” - ₹3205.69 lakhs;

(c) “National Rural Livelihood Mission” - ₹5709.14 lakhs;

(जा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(क) “इंदिरा आवास योजना” – ₹95353.00 लाख;

(ख) “राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम” – ₹12076.82 लाख; और

(ग) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹78884.23 लाख।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” के अंतर्गत – ₹22290.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹46951.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹69241.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹48919.36 लाख की बचत हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यों को सहायता” के अंतर्गत – ₹1050000.00 लाख के मूल प्रावधान के ₹385301.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1435301.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, व्यय की धीमी प्रगति होने और योजना मांग द्वारा संचालित होने के कारण ₹164052.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2216” – “ग्रामीण आवासन” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(H) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Indira Awaas Yojana” - ₹95353.00 lakhs;

(b) “National Social Assistance Programme” - ₹12076.82 lakhs; and

(c) “National Rural Livelihood Mission” - ₹78884.23 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme” - the original provision of ₹22290.00 lakhs was augmented to ₹69241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹46951.00 lakhs. However, there was a saving of ₹48919.36 lakhs (including supplementary grant) - due to less receipt of proposals.

(III) Under Major Head “2505” - “Rural Employment Guarantee Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to District Rural Development Agencies District Programme Coordinators and Others” - the original provision of ₹1050000.00 lakhs was augmented to ₹1435301.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹385301.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹164052.00 lakhs - due to slow pace of expenditure and scheme being demand driven.

(IV) Under Major Head “2216” - “Rural Housing” - savings occurred under the following heads:-

(का) "इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम घटक" – ₹20640.58 लाख की बचत (₹405946.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों/आई. ई. सी. प्रभाग से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और नाबार्ड ब्याज भुगतान के लिए कम मात्रा में मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Indira Awaas Yojana- Indira Awaas Yojana - Programme Component" - saving of ₹20640.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹405946.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies/IEC division and less demand of NABARD interest repayment.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – इंदिरा आवास योजना – ₹500.40 लाख की बचत (₹501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira Awass Yojana" - saving of ₹500.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹501.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from UTs without legislature.

(V) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्व रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(V) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आजीविका – कार्यक्रम घटक" – ₹6100.79 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹101460.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एन. आर. ओ. द्वारा कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम संख्या में प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित किए जाने, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एस वी ई पी) के अंतर्गत नोडीय बैंकों को लिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Aajeevika - Programme Component" - saving of ₹6100.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101460.45 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakhs) was due to receipt of less proposals by NROs from States/UTs, conduction of less trainings/workshops and delay in boarding of nodal banks and under Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP).

(खा) "आजीविका – ई. ए. पी. घटक" – ₹988.82 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम संख्या में प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Aajeevika - EAP Component" - saving of ₹988.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for innovative projects and conduction of less training/workshops.

(गा) "प्रबंधन सहायता" – ₹4116.76 लाख की बचत (₹7514.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियां जारी करने के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम संख्या में प्रशिक्षण/कार्यशालायें/एस. ए. आर. ए. एस. मेले आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(C) "Management Support" - saving of ₹4116.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7514.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from release from States/UTs for release owing to availability of unspent balance and conduction of less training/workshops/SARAS fairs.

(VI) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनायें – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – बचतें

(VI) Under Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural

निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹3248.70 लाख की बचत (₹5001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सशुल्क पदोन्नति/सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले स्काई बस विज्ञापनों के लिए अनुमोदन नहीं मिलने और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीयकृत अभियान के कारण कम संख्या में कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(खा) "क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता" – ₹38800.16 लाख की बचत (₹40000.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "मजदूरी संवितरण के लिए सेवा शुल्क" – ₹2435.87 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹5986.76 लाख की बचत (₹8006.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2515" – "अन्य व्यय – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण" के अंतर्गत – ₹1371.59 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10023.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों (एस. आई. आर. डी एस/ई. टी. सी.) से कम राशि की मांग प्राप्त होने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "जिला और अन्य सडकें – प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" –

Employment Guarantee Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Information, Education and Communication" - saving of ₹3248.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs) was due to non-approval of paid promotions/Skybus advertisements to be carried out by Ministry of I&B and less activities owing to centralized campaign under Viksit Bharat Sankalp Yatra.

(B) "Capacity Building & Technical Support" - saving of ₹38800.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs); and

(C) "Service Charges for wage disbursement" - saving of ₹2435.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from State Governments.

(D) "Expenditure in Union Territory without Legislature" - saving of ₹5986.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8006.00 lakhs) was due to receipt less proposals from Union Territories.

(VII) Under Major Head "2515" - "Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - saving of ₹1371.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10023.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less demand from institutes (SIRDs/ETCs) and receipt of less proposals.

(VIII) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" -

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास एजेंसी को सहायता" – ₹1588.75 लाख की बचत (₹5762.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिनुक्ति आधार पर कम अधिकारियों को रखने और विक्रेताओं/एन. क़्यू. एम. (राष्ट्रीय गुणवत्ता मानिटर) द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(a) "Assistance to National Rural Roads Development Agency" - saving of ₹1588.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5762.00 lakhs) was due to less officers on deputation basis and non-submission of bills by vendors/NQMs (National Quality Monitors).

(ख) "विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹15028.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(b) "Expenditure in Union Territories without Legislature" - saving of ₹15028.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to slow progress of work in Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(खा) "सामान्य – आरक्षी निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण" – ₹16802.00 लाख की बचत (₹25802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा नहीं होने, विक्रेताओं/एन. क्यू. एम. द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कम संख्या में अधिकारियों को लेने, यात्राओं पर कम राशि व्यय होने और विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "General - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Roads and Infrastructure Fund" - saving of ₹16802.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25802.00 lakhs) was due to non-completion of work, non-submission of bills by vendors/NQMs, less officers on deputation basis, less travel expenses and slow pace of work in UTs without legislature.

(IX) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(IX) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹268885.39 लाख की बचत (₹1534198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(a) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹268885.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1534198.00 lakhs) was due to slow progress of work in the states.

(ख) "प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹1422697.99 लाख की बचत (₹2373450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - saving of ₹1422697.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2373450.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(B) "Special Component Plan for Scheduled

– प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹968896.80 लाख की बचत (₹120565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹219600.18 लाख की बचत (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹827772.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारणु हुईं।

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – केंद्रीय सडक और अवसंरचना निधि (सी. आर. आई. एफ़.) को अंतरण" – ₹464198.00 लाख की बचत (₹1724198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी. एम. जी. एस. वाई. के अंतर्गत राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹4680.89 लाख की बचत (₹11984.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹2405.78 लाख की बचत (₹17414.88 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष होने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग के अनुदेःों का पालन नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना" – ₹19555.77 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - saving of ₹968896.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1205658.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - saving of ₹219600.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹827772.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakhs).

Savings under above three heads were due to receipt of less proposals from State Government.

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹464198.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1724198.00 lakhs) was due to slow pace of work in states under PMGSY.

(X) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Social Assistance Programme" - saving of ₹4680.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11984.68 lakhs) was due to receipt of less proposals from UTs.

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹2405.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17414.88 lakhs) was due to non-compliance of DoE's instruction by UTs owing to scheme being in the first year of implementation.

(c) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹19555.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to less demand from UTs.

(घ) "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी. डी. यू. जी. के. वाई.)" – ₹1883.39 लाख की बचत (₹2191.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushal Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹1883.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2191.20 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balances with some UTs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" - savings occurred under the following heads:-

(क) "प्रधान मंत्री आवास योजना" – ₹2397.50 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Pradhan Mantri Awas Yojana" - saving of ₹2397.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from UTs.

(ख) "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी. डी. यू. जी. के. वाई.)" – ₹585.07 लाख की बचत (₹717.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹585.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹717.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balances by some UTs.

(गा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – केंद्रीय सडक निधि/केंद्रीय सडक और अवसंरचना निधि (पी. एम. जी. एस. वाई.) को अंतरण" – ₹22059.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम मात्रा में मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Central Road Fund/Central Roads and Infrastructure Fund (PMGSY)" - saving of ₹22059.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to low demand from UTs.

(XI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹746.14 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत और 98 प्रतिशत थीं।

(XI) Under two heads savings of ₹746.14 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 32 percent and 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹3616669.51 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3752431.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹3616669.51 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹3752431.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – वृद्धजन, कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹3720.66 लाख।

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - ₹3720.66 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यों को सहायता" – ₹626748.99 लाख।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता" – ₹34918.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹34918.80 लाख था।

(ग) "आरक्षी निधियों को अंतरण – राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण" – ₹2326830.82 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "2515" – "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अनुदान" – ₹2326830.82 लाख।

(घा) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला और अन्य सडकें – आरक्षी निधियों/जमा लेखे को अंतरण कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" – ₹27005.30 लाख।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"– अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुआः–

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹549722.07 लाख।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" – ₹5312.11 लाख।

(चा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"–

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes" -

(a) "National Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to District Rural Development Agencies District Programme Coordinators and Others" - ₹626748.99 lakhs.

(b) "Tribal area sub-plan - Assistance to District Rural Development Agencies District Programme Coordinators and others" - ₹34918.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹34918.80 lakhs.

(c) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Employment Guarantee Fund" - ₹2326830.82 lakhs.

(C) Major Head "2515" - "Training - Grants to National Employment Guarantee Fund" - ₹2326830.82 lakhs.

(D) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Agriculture Infrastructure And Development Fund" - ₹27005.30 lakhs.

(E) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" :-

(a) "Central Assistance/Share - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - ₹549722.07 lakhs.

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - ₹5312.11 lakhs.

(F) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण" – ₹34788.881 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹34788.87 लाख हुआ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना" – ₹1076.63 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1076.62 लाख हुआ।

(ग) "आरक्षी निधि/जमा लेखाओं को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" – ₹2502.72 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – ग्रामीण विकास विभाग" के अंतर्गत – ₹3999.33 लाख का अधिक व्यय (₹6050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, संवर्धित पदोन्नतियों, एन. डी. एम. सी., एल. आई. सी. और आर. बी. टी को कार्यालय स्थल किराये पर लेने के लिए उन्हें किराया और उपयोग भुगतान और ग्रामीण विकास विभाग के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सी. एस. सी. के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं" – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुएः–

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹21007.82 लाख का अधिक व्यय (₹641572.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों द्वारा लंबित देयताओं को निपटाने के लिए आई. जी. एन. ओ. ए. पी. एस., आई. जी. एन. डब्ल्यू. पी. एस. और आई. जी एन. डी. पी. एस. हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Awas Yojana Rural - ₹34788.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹34788.87 lakhs.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana" - ₹1076.63 lakhs. Actual excess, however, was ₹1076.62 lakhs.

(c) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - ₹2502.72 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following Major Heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Rural Development" - excess of ₹3999.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6050.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, increased promotions, rent and utility payments to NDMC, LIC and RBT for hiring offices spaces and CSC for displaying creative(s) of DoRD.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹21007.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹641572.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards IGNOAPS, IGNWPS & IGNDPS schemes owing to clearance

होने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹47074.94 लाख का अधिक व्यय (₹582075.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए परियोजना अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹899.37 लाख (₹47200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व के राज्यों से प्राप्त अधिक प्रस्तावों के कारण हुआ।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹6139.57 लाख का अधिक व्यय (₹140748.26 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और एन. आर. एल. एम दिशा निर्देशों के प्रावधान के अनुसार उत्तर पूर्व राज्यों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित 2023–24 की कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹3205.69 लाख का अधिक व्यय (₹169744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

of pending liabilities by State of Kerala, Tamil Nadu, Telangana.

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹47074.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹582075.77 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹899.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47200.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from North Eastern States.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹6139.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140748.26 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards implementation of Action Plan for 2023-24 approved by Empowered Committee in North Eastern States as per provision of NRLM guidelines.

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹3205.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹169744.00 lakhs); and

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹8617.02 लाख का अधिक व्यय (₹91376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत अधिक व्यय उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और केरल, तमिल नाडू, तेलंगाना राज्यों द्वारा लंबित देयताओं को निपटाने के लिए आई. जी. एन. ओ. ए. पी. एस., आई. जी. एन. डब्ल्यू. पी. एस. और आई. जी एन. डी. पी. एस. हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹79787.15 लाख का अधिक व्यय (₹89176.97 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3- *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि :–*

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रयोक्ता की अधिसूचना द्वारा इसका इसी तरह से और ऐसी शर्तों और सीमाओं के तहत उपयोग करने के लिए की गई थी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निहित किया जाए। इस विधि में अनुदान या ऋण द्वारा ऐसी राशि क्रेडिट की जाती है जिसे संसद द्वारा उसकी ओर से विधि द्वारा उचित विनियोग के बाद सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए।

2023–24 के लिए इस विधि का लेखा इस प्रकार था:–

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹8617.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91376.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards IG-NOAPS, IGNWPS & IGNDPS schemes owing to clearance of pending liabilities by State of Kerala, Tamil Nadu, Telangana.

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹79787.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89176.97 lakhs) was due to receipt of less proposals.

3. *National Rural Employment Guarantee Fund:-*

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans, such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Accounts of the Fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	..
प्राप्तियां	Receipts	89268,30,82
भुगतान	Payments	89268,30,82
अंतशेष	Closing Balance	..